

राजस्थान सरकार  
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक: एफ15 ( )सा.सु./म.क./सान्चाअवि/20/ 2805-9

जयपुर, दिनांक 11/05/20

आयुक्त

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय : विज्ञप्ति प्रकाशन करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका एवं एक राज्य स्तरीय अन्य समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

संलग्न : विज्ञप्ति

भवदीय,  
७१२  
निदेशक ॥ ८२०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को शीघ्र जारी कराने का श्रम करावें।
2. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने की कार्यवाही करावे।

  
11.5.20  
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार  
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक: एफ15 ( )सा.सु./म.क./सान्याआवि/20/

जयपुर, दिनांक

विज्ञप्ति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर संभाग मुख्यालय पर संचालित महिला सदन/नारी निकेतनों में विशेष शिक्षक महिला (श्रवण बाधित, मानसिक विमंदित) (पे—मैट्रिक लेवल L-10) के रिक्त पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हैं।

राजस्थान सरकार के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग व संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत विशेष शिक्षक महिला (श्रवण बाधित, मानसिक विमंदित) (पे—मैट्रिक लेवल L-10) ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।

प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक अपना आवेदन पत्र डाक/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः दिनांक 15 जून, 2020 तक निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर में जमा करवा सकते हैं। आवेदन प्रारूप, दिशा-निर्देश, रिक्त पदों का विवरण एवं अन्य शर्तें विभाग की वैबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है। विस्तृत जानकारी हेतु फोन नं. 0141-2226605 पर कार्यदिवस को प्रातः 9:30 से सायंकाल 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

२३  
११/३/२०२०  
निदेशक

राजस्थान सरकार

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक २८०६०

जयपुर, दिनांक ११/०५/२०

महिला सदन/नारी निकेतनों में विशेष शिक्षक महिला (श्रवण बाधित, मानसिक विमंदित) (पे-मेट्रिक लेवल L-10) प्रतिनियुक्ति हेतु पात्रता/दिशा-निर्देश

1. राज्य महिला सदन जयपुर एवं नारी निकेतन, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विशेष शिक्षक महिला (श्रवण बाधित, मानसिक विमंदित) (पे-मेट्रिक लेवल L-10) आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
2. प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिकों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग व संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत विशेष शिक्षक (महिला) (श्रवण बाधित, मानसिक विमंदित) (पे-मेट्रिक लेवल L-10) ही प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र हैं।
3. आवेदन पत्र साफ सुथरे अक्षरों में भर कर समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रति सहित स्वयं द्वारा सत्यापित संलग्न कर दिनांक 15 जून, 2020 तक निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर में डाक/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः जमा करा सकते हैं।
4. एक प्रतिनियुक्ति से दूसरी प्रतिनियुक्ति में एक वर्ष का अन्तराल पूर्ण होना आवश्यक है। पूर्ण सेवा अवधि में 10 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति अवधि वाले कार्मिक आवेदन के लिए अपात्र होंगे।
5. विशेष शिक्षक (महिला) (श्रवण बाधित, मानसिक विमंदित) का पे मैट्रिक लेवल L-10 पर कार्यरत होना अनिवार्य है।
6. प्रथमतः प्रतिनियुक्ति केवल तीन वर्ष के लिए होगी, जिसमें नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
7. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान (सेवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व) किसी विशेष परिस्थिति में कार्मिक द्वारा कार्यभार से मुक्त होने के आवेदन करने पर अथवा सेवा में अंसतोषप्रद घाये जाने की स्थिति में कार्मिक को मूल जिले (पूर्व जिला) के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा) को पदस्थापन हेतु निर्देशित किया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों को विभाग द्वारा पारित समर्त निर्देशों एवं अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
9. आवेदन कर्ता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/उपरिथिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।

10. कार्मिक के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित/लम्बित नहीं होनी चाहिए।
11. चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
12. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है।
13. समस्त मामलों में किसी वाद के होते हुए अन्तिम निर्णय का अधिकार आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा।
14. विभाग को प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी कर शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर विशेष शिक्षक (महिला) का चयन कर सूची प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग को प्रेषित की जायेगी।
15. शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित मापदण्ड अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा:—

<b>10<sup>th</sup> (A*)</b>	<b>12<sup>th</sup> (A*)</b>	<b>U.G. (A*) B.A. B.Com, B.Sc</b>	<b>P.G. (A*)</b>	<b>B.Ed in Special education (A*)</b>	<b>B.Ed in General education (A*)</b>	<b>Ph. D /M.Phil degree (B*)</b>	<b>अकादमिक सामाजिक सांस्कृतिक अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्रमाण प्रपत्र (राजकीय सेवा में आने के पश्चात्) (C*)</b>	<b>कुल अंक</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
<b>(A*) शैक्षणिक योग्यता के लिए 10<sup>th</sup>, 12<sup>th</sup>, UG/PG, B.Ed के लिए निर्धारित अंक</b>	<b>(B*) Ph. D / M.Phil degree</b>	<b>(C*) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में प्रशंसना पत्र, समान प्राप्त करने पर निर्धारित अंक</b>						
1. प्रथम श्रेणी — 10 अंक 2. द्वितीय श्रेणी — 9 अंक 3. तृतीय श्रेणी — 8 अंक	Ph. D - 10 अंक M.Phil-10 अंक	1. राज्यीय स्तर — 20 अंक 2. राज्य स्तर — 15 अंक 3. जिला स्तर — 10 अंक						

- नोट :**
1. शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक कोर्स, उच्च अध्ययन की योग्यता तथा राजकीय सेवा में आने के पश्चात् प्राप्त प्रशंसना पत्र के दिये गये अधिकतम अंक के अलावा देय नहीं होगे।
  2. विस्तृत जानकारी हेतु फोन नं. 0141-226605 पर कार्य दिवस को प्रातः 9.30 से सायंकाल 6.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

२१३  
११/१२०

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
**राजस्थान जयपुर**

**महिला सदन/नारी निकेतन में विशेष शिक्षक महिला (श्रवण बाधित, मानसिक विमर्शित) पे मैट्रिक  
लेवल-10 की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र**  
रजि.नं..... (कार्यालय उपयोग हेतु)

**आवेदित महिला सदन/नारी निकेतन का नाम .....**

Recent  
Photo  
paste here

1. कार्मिक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. मूल पद एवं विषय .....
4. जन्म तिथि .....
5. गृह जिला .....
6. एम्प्लॉय आई. डी.....
7. पे लेवल .....
8. आवेदक का वर्तमान पता .....
9. शिक्षा निदेशालय का नाम यथा – .....
10. प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं स्थान .....
11. वर्तमान पदस्थापन स्थान .....
12. वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण दिनांक .....
13. कुल सेवा अवधि .....
14. कुल सेवा अवधि में प्रतिनियुक्ति कार्यकाल/वर्ष (यदि हो तो) .....
15. मोबाइल नं. (1) ..... (2) .....
16. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.स.	परीक्षा का नाम	प्राप्तांकों का प्रतिशत	श्रेणी	संलग्नक संख्या
1	सैकण्डरी/समकक्ष			
2	हायर/सीनियर सैकण्डरी			
3	स्नातक			
4	स्नातकोत्तर			
5	बी.एड. विशेष शिक्षा			
6	बी.एड. सामान्य			

**17. अन्य अकादमिक योग्यता:-**

क्र.सं.	अकादमिक योग्यता का नाम	विश्व विद्यालय जहां से डिग्री प्राप्त की है	संलग्नक संख्या
1	Ph. D/ M.Phil degree		

**18. राजकीय सेवा में आने के पश्चात् अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता:-**

स्तर	अकादमिक	सामाजिक	सांस्कृतिक व अन्य	संलग्नक संख्या
राष्ट्रीय				
राज्य				
जिला				

**घोषणा पत्र**

मैं ..... घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन—पत्र में दी गई समस्त सूचना/जानकारी सही है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में कोई असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी।

**दिनांक :-**

**कार्मिक के हस्ताक्षर**

नाम .....

पद .....

पदस्थापित स्थान.....

**वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/सुश्री.....पद .....

पदस्थापन स्थान .....की

प्रतिनियुक्त महिला सदन/नारी निकेतन में विशेष शिक्षक (महिला) के पद पर की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

**दिनांक:-**

**प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर  
मय सील**